



उत्तरांचल UTTARANCHAL

प्रास्य-26

00AA 335668

नियम-4 देखिए।

शासक-पत्र

उपनक्षत्र :- श्री सुरम्वन्दु जोशी उम्र 36 वर्ष पुत्र श्री धर्मानन्द जोशी  
निवासी ग्राम सल्ला रौतेला, पोस्टाड शीलावेत,  
तहसील व जिला अल्मोडा।

नोट- जग्दी प्रास्य के साथ संलग्न है।



*(Handwritten signature)*

50 रजिस्ट्रार

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

निर्वाचन क्षेत्र से

निर्वाचन समिति (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के सम्म  
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र

में हरनचन्द्र गोडरी पुत्र/पुत्री/पत्नी धर्मो नन्द जोशी

आयु 36 वर्ष जो ग्राम बसका रोड का/की निवासी है

और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ करता हूँ

निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध  
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित  
किया गया है/किए गए हैं। नहीं

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी  
प्रस्तुत करेगा/करेगी): नहीं

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त  
विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई  
है नहीं

मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8  
की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध  
(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक  
के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नहीं  
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह  
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है नहीं

Folk



(iii) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्था कमी आरोपित किया गया है नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे नहीं

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं नहीं

स्थान: रानीखेत  
तारीख: 12-01-2012

Y.C.  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्गत मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

रानीखेत स्थान पर आज तारीख 12-01-2012 को सत्यापित किया।

Y.C.  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं।

Solemnly Affirmed before me by  
the Deponent Shri Yuzam Choudhary  
Shri Yuzam Choudhary  
Shri Yuzam Choudhary  
that the Contents of this Affidavit are  
True with have been read & explained to  
the Deponent who is identified by  
Shri Yuzam Choudhary  
& Ranikhet

Y.C. JOSHI  
Notary Ranikhet  
12/1/12